



**बिहार सरकार**  
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)  
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार  
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉ मार्ग, पटना-800 014

संख्या-FC/30/2020-999

प्रेषक,

**अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक-19/12/2024

**विषय-** श्री दिनेश पासवान द्वारा समस्तीपुर जिलान्तर्गत के बाजीतपुर करनैल ग्राम के थाना-ताजपुर, खाता संख्या-76, 38, प्लॉट संख्या-1419, 1420, समस्तीपुर-पटोरी पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.02025 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

**प्रसंग-** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/44447/2020/4001, दिनांक 15.06.2020

महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 05.12.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है-

| क्र० सं० | भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची का पत्र दिनांक 15.06.2020 में निहित कंडिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अनुपालन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2        | <b>Compensatory Afforestation:</b><br>The State Forest Department shall plant 100 trees to maintain the green cover at the project cost. Planting site for the purpose shall be identified by the State Forest Department preferably within or in the surrounding area of the project. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided. The user ..... | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा हरितावरण को बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण तथा उनके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु० 8,97,311.00 (रु० आठ लाख सत्तानवे हजार तीन सौ ग्यारह) मात्र की राशि को Account No. 1506219944447579, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 15.11.2024 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. KKBKR52024111500733167 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है। |



|           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3<br>(a)  | <b>Net Present Value (NPV):</b><br>The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.02025 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated ..... | NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.02025 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 19,395.00 (उन्नीस हजार तीन सौ पंचानबे रुपये मात्र) को Account No. 1506219944447579, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 15.11.2024 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. KKBKR52024111500733167 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है। |
| (b)       | Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of .....                                                                                                            | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है, तो उसका भुगतान करेंगे।                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4         | All the funds received from the user agency under the project shall be Transferred/deposited to CAMPA fund only through <b>e-portal</b> ( <a href="https://parivesh.nic.in">https://parivesh.nic.in</a> ).                                                 | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 15.11.2024 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)।                                                                                                                                                                                                                       |
| 5         | The FRA, 2006 certificate as per ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of final approval. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.         | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा उपलब्ध कराये गये जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण-पत्र, इस पत्र के साथ संलग्न भेजा जा रहा है।                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6         | The approach road to petrol pump/fuel station should be as per the following norms issued by the Ministry of Road Transport and Highways.....                                                                                                              | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (a)       | Fuel station should generally be part of rest area complex having other amenities like place for parking, toilets, restaurants, rest rooms shops etc. ....                                                                                                 | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (b)       | Suitable signs and markings showing the location of the fuel station may be provided without disturbing the road side plantations.                                                                                                                         | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (c)       | Entire Periphery of the retail outlet should be lined up with tree plantation at a close spacing of 1.0 to 1.5 meter keeping an .....                                                                                                                      | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (d)       | Suitable plantations should be raised by the user agency along the approach road, separator .....                                                                                                                                                          | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7         | Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall in consultation with SFD .....                                                                                                                                                           | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8         | The User Agency shall ensure that the labourers and staff engaged in construction activity do not damage the nearby forest flora and fauna.                                                                                                                | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9         | The lay out plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Central Government.                                                                                                                                                    | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10<br>(a) | The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.                                                                                                                                                       | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (b) | The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the existence .....                                                                                                         | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।                       |
| (c) | The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be .....                                                                                                                     | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।                       |
| 11  | Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980 .....                                                                                            | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। |
| 12  | Any other conditions that the Ministry of Environment, Forest & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation protection and development of forest and wildlife. | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।                       |
| 13  | The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)                                                                                                                     | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website पर अपलोड कर दिया गया।               |

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I) में अधिरोपित सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है। साथ ही प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 05.12.2024 द्वारा पथ निर्माण विभाग से निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।

विषयक प्रस्ताव के साथ अत्यधिक दस्तावेज होने के कारण इसे e-office Portal पर अपलोड करने में कठिनाईयाँ हो रही है। अतएव विषयक प्रस्ताव को e-office portal पर अपलोड किये बिना ही कार्रवाई किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.02025 हे० सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage - II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

**अनु०-यथोक्त।**

विश्वासभाजन,

ह०/-

**(अरविन्दर सिंह)**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),  
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- FC/30/2020- 999

दिनांक- 19/12/2024

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर /वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर वन प्रमंडल, समस्तीपुर एवं श्री दिनेश पासवान, पिता-श्री कैलाश पासवान, ग्राम+पोस्ट-सीमरी, थाना-विद्यापतिनगर, जिला-समस्तीपुर को सूचना हेतु प्रेषित।

**(अरविन्दर सिंह)**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।



## Proforma

|    |                                                                                                   |                                                                   |             |                       |            |                   |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------------|--|
| 1  | Name of Regional Office                                                                           | Eastern Region, Ranchi                                            |             |                       |            |                   |  |
| 2  | State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates                                       | Bihar/Samastipur/ Samastipur Forest Division, Samastipur.         |             |                       |            |                   |  |
| 3  | Name of User Agency nature of proposal                                                            | Shri Dinesh Paswan / HPCL Retail Outlet                           |             |                       |            |                   |  |
| 4  | Extent of forest area involved                                                                    | 0.02025 Ha.                                                       |             |                       |            |                   |  |
| 5  | Whether Original, or extension                                                                    | Original                                                          |             |                       |            |                   |  |
| 6  | If extension of lease, PI clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify | -NA-                                                              |             |                       |            |                   |  |
| 7  | Date of 1st stage Clearance                                                                       | 15.06.2020                                                        |             |                       |            |                   |  |
| 8  | <b>Extent of CAMPA charges head wise viz.</b>                                                     |                                                                   |             |                       |            |                   |  |
|    | a. Compensatory Afforestation                                                                     | 8,97,311/-                                                        |             |                       |            |                   |  |
|    | b. Additional CA                                                                                  | -NA-                                                              |             |                       |            |                   |  |
|    | c. Penal CA                                                                                       | -NA-                                                              |             |                       |            |                   |  |
|    | d. Catchment Area Treatment                                                                       | -NA-                                                              |             |                       |            |                   |  |
|    | e. Wildlife Management Plan                                                                       | -NA-                                                              |             |                       |            |                   |  |
|    | f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas                | -NA-                                                              |             |                       |            |                   |  |
|    | g. Net present Value                                                                              | 19,395/-                                                          |             |                       |            |                   |  |
|    | h. Any other charges/Levies (PI Specify)                                                          | -NA-                                                              |             |                       |            |                   |  |
| 9  | Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph                          | S.No                                                              | MODE Remtt. | UTR No. & Date        | Amount     | Head              |  |
|    |                                                                                                   | 1                                                                 | e-challan   | KKBKR52024111500      | 19,395/-   | NPV               |  |
|    |                                                                                                   | 2                                                                 |             | 733167 dt. 15.11.2024 | 8,97,311/- | CA                |  |
|    |                                                                                                   | <b>Total-</b>                                                     |             |                       |            | <b>9,16,706/-</b> |  |
|    |                                                                                                   |                                                                   |             |                       |            |                   |  |
| 10 | Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance                            | As above.                                                         |             |                       |            |                   |  |
| 11 | Bank in which deposited, with date of deposition.                                                 | All above e-challan sent to Union Bank of India on dt. 15.11.2024 |             |                       |            |                   |  |
| 12 | Any other remarks                                                                                 |                                                                   |             |                       |            |                   |  |

(Arvinder Singh)

Signature of APCCF (CAMPA)-  
cum-Nodal Officer (FC), Bihar.



सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।



दिनांक— 05.12.2024

विषय— श्री दिनेश पासवान द्वारा समस्तीपुर जिलान्तर्गत के बाजीतपुर करनैल ग्राम के थाना—ताजपुर, खाता संख्या—76, 38, प्लॉट संख्या—1419, 1420, समस्तीपुर—पटोरी पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.02025 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— आपका पत्रांक FC-808, दिनांक 24.10.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक पत्रांक FP/BR/Others/44447/2020/4001, दिनांक 15.06.2020 द्वारा कुल 13 शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ—

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा।
2. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 8,97,311.00 मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506219944447579, Union Bank of India में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 15.11.2024 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. KKBKR52024111500733167 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
- 3.(a) NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.02025 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 19,395.00 बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506219944447579, Union Bank of India में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 15.11.2024 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. KKBKR52024111500733167 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
- (b) मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।



4. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर Union Bank of India के खाता में दिनांक 15.11.2024 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
5. जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण-पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- a. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- d. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
8. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
9. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- 10 (a). इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
11. मेरे द्वारा वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
12. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
13. मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website- <http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।

साथ ही पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

**अनु०-यथोक्त**

विश्वासी,

*Dinesh Paswan*

(दिनेश पासवान)

पिता-श्री कैलाश पासवान,  
ग्राम+पोस्ट-सीमरी, थाना-विद्यापतिनगर,  
जिला-समस्तीपुर।





**kotak**<sup>®</sup>  
Kotak Mahindra Bank

### Transfer Details

Reference No. (UTR No./RPN)  
KKBKR52024111500733167

Date & Time  
15 Nov 2024 - 12:55 PM

Amount  
₹916706.00

Beneficiary name  
BIHAR CAMPA

Bank name  
UNION BANK OF INDIA

Account number  
1506219944447579

IFSC  
UBIN0996335

Reason  
Local Payment

Remarks  
Forest payment for Application no 19944447579



कार्यालय, जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के तहत रैखिक परियोजना निर्माण 24

हेतु FRA 2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक—  
28.10.2014 को निर्गत दिशा के तहत)

संख्या— 968 दिनांक— 26/03/21

प्रमाणित किया जाता है कि समस्तीपुर जिले में प्रयोक्ता एजेंसी एच०पी० सी०एल० द्वारा मोरवा अंचल अन्तर्गत मौजा वाजिदपुर करनैल में रिटेल आउटलेट रैखिक परियोजना निर्माण स्थान रिटेल आउटलेट के प्रवेश से निकासी मार्ग तक कुल कि०मी० 35m X 35m में पड़ने वाले पथ/नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के 0.02025 हे० रकबा के अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक—530 दिनांक—06.03.2020 द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तदुद्देश्य के प्रस्ताव के जाँचोपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिए अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षरोपण दिनांक—13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गांवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

स्थान—  
तिथि—

ह०/—  
जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर  
एवं मुहर

OR

Certified that forest land proposed to be diverted is a plantation which was notified as "Forest" less than 75 year prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census- 2001 and the Census- 2011.

Place:  
Dated:



District Magistrate  
and Office Seal



## मुख्य अभियंता, उत्तर का कार्यालय पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक - 80-23/उ०वि०(वा०) आउटलेट-31-85/2020

दिनांक -

प्रेषक,

मुख्य अभियंता, उत्तर

सेवा में

अधीक्षक अभियंता,

पथ निर्माण विभाग,

पथ अंचल, दरभंगा।

विषय-

पथ प्रमंडल, समस्तीपुर अन्तर्गत मोरवा अंचल, मौजा-बाजिदपुर करनेल, खाता सं०-76.38, खेसरा न०-1419, 1420 में HPCL का रिटेल आउटलेट खोलने हेतु औपबधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग-

- (i) अल्पका पत्रांक-812 (अनु०), दिनांक-04.05.2024
- (ii) विभागीय सकल्य झापांक-1921 (S) दिनांक-08.03.2018
- (iii) विभागीय पत्रांक-80 (E), दिनांक-04.01.2024

भूताराय

उपरोक्त प्रास्तविक पत्र के आलोक में पथ प्रमंडल, समस्तीपुर अन्तर्गत मोरवा अंचल, मौजा-बाजिदपुर करनेल, खाता सं०-76.38, खेसरा न०-1419, 1420 में HPCL द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए पथ निर्माण विभाग को यहूच पथ के रूप में विकसित कर व्यवहार करने हेतु 05 (पाँच) वर्षों के लिए औपबधिक अनापत्ति प्रमाण-पत्र विभागीय निर्देश (पत्रांक-80 (ई०) दिनांक-04.01.2024) तथा सकल्य झापांक-1921(S), दिनांक-08.03.2018 के आलोक में प्रदान की जाती है। उक्त अनापत्ति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, समस्तीपुर द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न चेकलिस्ट में अंकित विवरणों के आधार पर दी जा रही है। कृपया अपने स्तर से प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थल का पुनः निरीक्षण कर चेकलिस्ट में अंकित विवरणों से संतुष्ट होकर ही अग्रतर कार्रवाई की जाय। यदि भविष्य में इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो कार्यपालक अभियंता इसके लिए जिम्मेवार होंगे-

1. भविष्य में यदि आवेदक द्वारा प्रस्तावित स्थल के संबंध में दी गई सूचनाओं में कोई त्रुटि पायी जाती है तो यह औपबधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. पेट्रोल पम्प के अनुमोदित नक्शा की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु मूल में लौटाई जाती है।
3. प्रायेक 5 वर्ष के बाद विभागीय सकल्य झापांक-1921 (S) दिनांक-08.03.2018 की कंडिका-8 के अनुपालन में विभाग द्वारा निर्धारित Renewal Fee जमा कसते हुए नवीकरण की जाएगी।
4. MoRTH, IRC एवं विभागीय रिटेल आउटलेट से संबंधित दिशा निर्देश का अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित किया जाय।
5. समर्पित चेकलिस्ट के आधार पर औपबधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि चेकलिस्ट में दर्ज सूचनाओं से स्वयं भी संतुष्ट हो कर कार्रवाई करेंगे।

विश्वासभाजन

HQ/-

झापांक -

743

दिनांक -

7/5/2024

मुख्य अभियंता, उत्तर

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, समस्तीपुर/ Ass. Sales Manager-Retail, Hindustan Petroleum Corporation Limited, HPCL Begusarai Retail Regional Office, Raghunath Place, Har-Har Mahadeo Chowk, NH-31, Dist- Begusarai-851101/, Shri Dinesh Paswan, S/o Karilash Paswan, At+PO-Simri, ViA+ PS-, Vdyapatnagar, Dist-Samastipur, Pin- 848503 (Bihar), को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता, उत्तर